कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अभिलेखों को [illegible] करने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(3) के अन्तर्गत कुलपति महोदय द्वारा [illegible] सम्बन्धी [illegible] गठित समिति की बैठक दिनांक [illegible]-2006 की [illegible] (वीडिंग शिड्यूल) निर्धारण हेतु [illegible]

कार्यवाही —

उपस्थिति

1— संकायाध्यक्ष कला संकाय के प्रतिनिधि

2— प्रो० कमेश पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

3— डा० एस० डी० शर्मा, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय

4— प्रो० [illegible] जयन्ती, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय

5— प्रो० जे० के० जोशी, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय

6— वित्त अधिकारी, कु०वि०वि० नैनीताल के प्रतिनिधि

कार्यवाही

उत्तरांचल सूचना आयोग के पत्र सं० 885/92 1336 / उ०सू०आ० / मु०सू०आ० / 2006 दिनांक 4-5-2006 के बिन्दु सं० 4 के दिनांक 8-5-2006 के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश [illegible] के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न अभिलेखों को विनिष्ट करने की प्रक्रिया के नियमों का [illegible] करने के लिये समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि — [illegible] सम्बन्ध के अनुरूप की जा रही निष्प्रयोजन की कार्यवाही [illegible] निम्नलिखित संस्तुतियों के अनुरूप निस्तारित किया जाय।

1— छात्रों द्वारा प्रयुक्त (लिखित) उत्तर-पुस्तकों को मुख्य परीक्षा की [illegible] बाद/स्क्रूटनी (रिवैल्यूएशन) पूर्ण होने के उपरान्त विडिंग की कार्यवाही पूर्ण कर उत्तर-पुस्तकों को विनिष्ट करने की व्यवस्था की जाय।

2— सामान्य कक्षाओं के प्रवेश फार्म — प्रवेश के समय दी [illegible] आवश्यक सूचनाओं के संकलित होने के उपरान्त इन अभिलेखों को विनिष्ट करने की कार्यवाही की जाय।

3— उपस्थिति विवरण (अभिलेख) — स्नातक स्तर पर तीन वर्षों के बाद तथा स्नातकोत्तर स्तर पर दो वर्षों के बाद आवश्यक सूचनाओं का संकलन करने के उपरान्त इन अभिलेखों को विनिष्ट करने की कार्यवाही की जाय।

4— शोध प्रवेश आवेदनपत्र तथा सम्बन्धित पत्रावलियाँ — शोध उपाधि प्रदान करने के एक वर्ष बाद आवश्यक सूचनाओं का संकलन करने के उपरान्त इन अभिलेखों को विनिष्ट करने की कार्यवाही की जाय।

5— अवार्ड लिस्ट (प्राप्तांक विवरण) — परीक्षाफल निकलने के एक वर्ष बाद लेकिन यह पुष्टि करनी आवश्यक होगी कि जिस वर्ष के अवार्डलिस्ट विनिष्ट करने की कार्यवाही की जा रही है, उस वर्ष में कोई परीक्षाफल अपूर्ण तो नहीं है। तदुपरान्त यह अभिलेख विनिष्ट करने की कार्यवाही की जाय।

6— अन्य निष्प्रयोज्य सामग्री यथा प्रवेश परीक्षाओं सम्बन्धी प्रपत्र/पूर्व में प्रकाशित पाठ्यक्रम जो निष्प्रयोज्य हो चुके हैं /परीक्षा आवेदन पत्र/अशुद्धियों के कारण निरस्त

Scanned with OKEN Scanner

94129
70180 Dr S.N. Sharma

उपाधि पत्र आदि — आवश्यकता के अनुरूप निष्प्रयोज्य होने पर एक माह की समय के अन्दर निष्प्रयोजन की कार्यवाही की जाय।

7— शासनादेश स0 224/xxxi(2)/जी/2005, उत्तरांचल शासन प्रशासनिक सुधार देहरादून दिनांक 23 अप्रैल, 2005 के आलोक में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की 13(6) के अन्तर्गत (उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम तैयार न होने के कारण) कुलपति मह द्वारा गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के उपर्युक्त सामग्रियों के निष्प्रयोजन हेतु विश्वविद्या कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ उपर्युक्त संस्तुति की जाती है।

8— विश्वविद्यालय के शेष अभिलेखों को शासनादेश संख्या 224/xxxi(2)/जी/2005, दिनांक 23—4—2005 के आधार पर निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।

तदुपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(संकायाध्यक्ष)

कला संकाय प्रतिनिधि | विज्ञान संकाय | विधि संकाय | वाणिज्य संकाय | शिक्षा संकाय

वित्त अधिकारी
प्रतिनिधि

Scanned with OKEN Scanner